राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड

डा. भागवत किषन राव कराड, माननीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की 80वीं बैठक, दिनांक 04 जनवरी, 2022

कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 80वीं बैठक, दिनांक 04.01.2022 को डा. भागवत किषन राव कराड, माननीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में सचिवालय, देहरादून में आयोजित की गयी, जिसमें मुख्यतः स्वरोजगारपरक याजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी। बैठक में डा. एस.एस. सन्धु, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड षासन, श्री आनन्द बर्द्धन, अपर मुख्य सचिव एवं अवस्थापना विकास आयुक्त, उत्तराखंड षासन, श्री एल. फैनेई, प्रमुख सचिव (समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण), उत्तराखंड षासन, श्री अमित सिंह नेगी, सचिव (वित्त एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड षासन, श्री दिलीप जावलकर, सचिव (पर्यटन), उत्तराखंड षासन, श्री राजेष कुमार, क्षेत्रीय निदेषक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री अमिताभ चटर्जी, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली, डा. अरुण प्रताप दास, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, श्री पंकज गुप्ता, अध्यक्ष, इंडस्ट्रजी एसोसियेषन ऑफ उत्तराखंड, रेखीय विभागों के उच्च अधिकारियों, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक श्री अभय सिंह, महाप्रबन्धक (नेटवर्क–2), भारतीय स्टेट बैंक एवं राज्य में कार्यरत बैंकों के उच्च अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व श्री अमिताभ चटर्जी, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा डा. भागवत किषन राव कराड, माननीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार एवं डा. एस.एस. सन्धु, मुख्य सचिव, उत्तराखंड षासन को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

एजेण्डेवार बिभिन्न बिन्दुओं पर निमनवत चर्चा की गयी :

1. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना :

- माननीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा योजना अंतर्गत प्रगति का आंकलन करने पर समस्त बैंकों को निर्देषित किया गया कि योजना अंतर्गत निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिष्चित करें। साथ ही बैंकों को अवगत कराया कि राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में मुद्रा ऋण बढ़ाना होगा, जिससे कि बेरोजगार युवकों को रोजगार प्राप्त हो सके एवं इससे क्षेत्र में पलायन रोका जा सकता है।

कार्यवाही : (समस्त बैंक)

2. एन.आर.एल.एम. :

- माननीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा समस्त बैंकों को निर्देषित किया गया कि वे योजना अंतर्गत लंबित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण एक सप्ताह में करें।
- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड द्वारा समस्त बैंकों से आग्रह किया गया कि विभाग का सहयोग प्राप्त कर आवेदक से सम्पर्क करें एवं ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण करें।

कार्यवाही : (यू.एस.आर.एल.एम. विभाग/समस्त बैंक)

3. <u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम</u> :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि योजना अंतर्गत आवेदक को EDP प्रषिक्षण लेना आवष्यक है, जिसके लिए राज्य में कार्यरत RSETI द्वारा प्रषिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जो कि आवेदकों की संख्या के अनुसार पर्याप्त नही है। अतः उद्योग एव ंके.वी.आई.सी. विभाग से आग्रह है कि वे आवेदकों को EDP प्रषिक्षण प्रदान करने में सहयोग प्रदान करें तथा समस्त बैंक ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण पोर्टल में अपलोड करें।
- राज्य निदेषक, के.वी.आई.सी., देहरादून द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि उनके विभाग द्वारा आवेदकों से सम्पर्क कर उन्हे EDP प्रषिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
- अपर मुख्य सचिव एवं अवस्थापना विकास आयुक्त, उत्तराखंड षासन द्वारा बैंकों को निर्देषित किया गया कि दिनांक 07.01.2022 को राज्य के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में विभाग के सहयोग से कैम्प आयोजित कर ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण करें।
- सचिव (वित्त एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड षासन द्वारा समस्त बैंकों को निर्देषित किया गया कि वे योजना अंतर्गत लंबित ऋण आवेदन पत्रों पर पुर्नविचार करें एवं छोटी–छोटी त्रुटियों के कारण ऋण आवेदन पत्र को निरस्त न किया जाय तथा आवेदक से सम्पर्क कर त्रुटियों का निराकरण किया जाय।
- माननीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा समस्त बैंकों को निर्देषित किया गया कि वे ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण तय समय सीमा (15 दिन) में करना सुनिष्चित करें ताकि आवेदक को असुविधा न हो एवं वे समय से अपना व्यवसाय प्रारम्भ कर सके।

(कार्यवाही : उद्योग एव के.वी.आई.सी. विभाग/समस्त बैंक)

4. <u>मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY)</u> :

- Video Conferencing के माध्यम से बैठक में प्रतिभाग कर रहे राज्य के समस्त जिला अधिकारियों से प्रगति विषयक समीक्षा की गयी, जिसमें जिला अधिकारियों द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया :
  - वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बैंक, विभाग के सहयोग से कैम्प मोड में अधिक से अधिक ऋण आवेदन पत्र प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इस दिषा में दिनांक 07.01.2022 को कैम्प का आयोजन प्रस्तावित है तथा उक्त तिथि को बैंक षाखाओं में दिनांक 31.12.2021 तक लंबित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जायेगा।
  - कतिपय बैंक षाखाओं द्वारा सम्पार्ष्विक प्रतिभूति (Collateral Security) एवं आवेदक के PAN Card की मांग की जा रही है, जो कि योजना के अनुरुप नही है।
  - योजना अंतर्गत ऋण आवेदन पत्रों के निस्तारण में बैंक षाखाओं द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है।
  - प्रशासन द्वारा षाखा प्रबन्धक के सहयोग से आवेदक से संपर्क कर ऋण आवेदन पत्रों के निष्पादन का प्रयास किया जा रहा है।
- मुख्य सचिव, उत्तराखंड षासन द्वारा समस्त जिला अधिकारियों को निर्देषित किया गया कि वे योजना का प्रचार प्रसार करें तथा योजना से लाभान्वित व्यवसायी की Success Story प्रेषित करें, जिससे कि अन्य लोग भी ऋण लेने हेतु प्रेरित हों।
- क्षेत्रीय निदेषक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिषानिर्देषानुसार रु. 10.00 लाख तक के एम.एस.ई. ऋण में सम्पार्ष्विक प्रतिभूति (Collateral Security) नही ली जानी है, अतः समस्त बैंक उक्त दिषानिर्देषों का अनुपालन करें।

- माननीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित उक्त योजना की सराहना की गयी तथा समस्त बैंकों को निर्देषित किया गया कि वे योजना अंतर्गत अधिक से अधिक बेरोजगारों को व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु सहयोग प्रदान करें।

(कार्यवाही : उद्याोग विभाग/समस्त बैंक)

5. <u>PM SVANidhi Scheme</u> :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा षहरी विकास विभाग से आग्रह किया गया कि वे सम्बन्धित ULB को निर्देषित करें कि जिन आवेदकों के ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये हैं, परन्तु उनको ऋण वितरित नही हुआ है, ऐसे आवेदकों को ULB बैंक षाखा तक पहुंचाये, जिससे उन्हे ऋण वितरण किया जा सके। षहरी विकास निदेषालय से यह भी आग्रह किया गया है कि निर्धारित लक्ष्य का 150 प्रतिषत ऋण आवेदन पत्र पोर्टल पर अपलोड करें।
- मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि उक्त योजना अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अच्छी प्रगति दर्ज की गयी है तथा हमें और अधिक प्रगति करने हेतु विभाग का सहयोग वांछनीय है।
- माननीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा निम्नवत निर्देषित किया गया :
  - विभाग निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कम से कम 150 प्रतिषत ऋण आवेदन पत्र बैंक षाखाओं को प्रेषित करें।
  - उत्तराखंड देव भूमि है, अतः यहां पर मन्दिरों के निकट कार्यरत व्यवसायियों को योजना अंतर्गत ऋण प्रदान किया जा सकता है।

(कार्यवाही : षहरी विकास निदेषालय/समस्त बैंक)

6. <u>मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो)</u> :

- सचिव (वित्त एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड षासन, द्वारा सदन को उक्त योजना विषयक अवगत कराया गया तथा समस्त बैंकों को निर्देषित किया गया कि वे योजना अंतर्गत लंबित ऋण आवेदन पत्रों को तय समय सीमा में निस्तारण करें तथा सम्बन्धित विभाग को निर्देषित किया गया कि समुचित संख्या में ऋण आवेदन पत्र बैंक षाखाओं को प्रेषित करें।
- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि ग्रामीण एवं षहरी क्षेत्रों में छोटे छोटे कार्य करने वाले कामगारों को रु. 50,000.00 तक का ऋण दिया जा सकता है। इस ऋण में अनुदान की राषि रु. 15,000.00 से रु. 20,000.00 तक राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। इस ऋण को मुद्रा ऋण की भांति स्वीकृत एवं वितरित किया जाना है।
- माननीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित उक्त योजना की सराहना की गयी, जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति को व्यवसाय प्रारम्भ करने में बैंकों से वित्तीय सहयोग प्राप्त होता है। इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेगे।

(कार्यवाही : उद्योग विभाग/समस्त बैंक)

7. <u>मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना (MSSY)</u> :

- सचिव (वित्त एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड षासन, द्वारा सदन को उक्त योजना विषयक अवगत कराया गया तथा समस्त बैंकों को निर्देषित किया गया कि वे योजना अंतर्गत लंबित ऋण आवेदन पत्रों को तय समय सीमा में निस्तारण करें।

- माननीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा योजना अंतर्गत लंबित ऋण आवेदन पत्रों का कारण जानना चाहा, जिस पर समन्वयक, एस.एल.बी.सी. मंहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अवगत कराया गया कि इसका मुख्य कारण charge creation on land तथा land use conversion का न हो पाना है। अतः सम्बन्धित विभाग उक्त विषयक बैंकों के लिए charge creation on land तथा land use conversion की अनिवार्यता समाप्त करने विषयक दिषानिर्देष बैंकों को जारी करवायें।

(कार्यवाही : उरेडा विभाग/समस्त बैंक)

8. <u>वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना</u> :

- सचिव (पर्यटन), उत्तराखंड षासन द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :
  - सदन को योजना विषयक विस्तृत जानकारी एवं प्रगति से अवगत कराया गया।
  - जिला स्तर पर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में कैम्प आयोजित कर ऋण प्रस्ताव प्राप्त किये जा रहे हैं तथा योजना अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य से डेढ़ गुना ऋण आवेदन पत्र, पात्र आवेदकों से प्राप्त कर बैंक षाखाओं को प्रेषित कर दिये जायेंगे।
  - योजना अंतर्गत जिले में पर्यटन की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुये जिलावार लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं।
  - बैंको से आग्रह है कि वे बैंक षाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण करें।

(कार्यवाही : पर्यटन विभाग/समस्त बैंक)

9. <u>दीन दयाल उपाध्याय होम स्टे योजना</u> :

- सचिव (पर्यटन), उत्तराखंड षासन द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :
  - सदन को योजना विषयक विस्तृत जानकारी एवं प्रगति से अवगत कराया गया।
  - प्राधिकरण क्षेत्र में प्राधिकरण एवं गैर प्राधिकरण क्षेत्र में SUDA द्वारा मानचित्र स्वीकृत किये जाते हैं तथा तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान द्वारा मानचित्र स्वीकृत किये जाते हैं।
  - बैंको से आग्रह है कि वे बैंक षाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण करें।
- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक महाप्रबन्धक (नेटवर्क–2), भारतीय स्टेट बैंक द्वारा विभाग से आग्रह किया गया कि वे दीन दयाल उपाध्याय होम स्टे योजना अंतर्गत सेक्षन 143 में भू–उपयोग (Land use) परिवर्तन एवं मानचित्र विषयक षासनादेष की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- ग्राम प्रधानों द्वारा स्वीकृत मानचित्र पर बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत नही किया जाता है।
- माननीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :
  - राज्य द्वारा प्रायोजित दीन दयाल उपाध्याय होम स्टे योजना की सराहना की गयी।
  - बैंकों से कहा गया कि वे उक्त योजना अंतर्गत approved map की अनिवार्यता समाप्त करने विषयक प्रस्ताव अपने बैंक की Board meeting में रखें।
  - योजना अंतर्गत ऋण पर ब्याज गृह ऋण के समान ही लगाया जाय, समस्त बैंक इस विषयक प्रस्ताव अपने बैंक की Board meeting में रखें।
  - जहां पर जिला विकास प्राधिकरण नही हैं, ऐसे क्षेत्रों के लिए सम्बन्धित विभाग बैंकों के लिए स्वीकृत मानचित्र की अनिवार्यता एवं land use conversion की अनिवार्यता समाप्त करने विषयक दिषानिर्देष बैंकों को जारी करवायें, जिससे बैंक उक्त योजना में ऋण स्वीकृत कर सकें।

(कार्यवाही : पर्यटन विभाग/समस्त बैंक)

10. **KCC Saturation Scheme :**

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि योजना अंतर्गत सम्बन्धित विभागों के सहयोग से समस्त बैंकों द्वारा कैम्प मोड में ऋण आवेदन पत्र प्राप्त किये जा रहे हैं तथा बैंक षाखाओं द्वारा उनका निस्तारण किया जा रहा है।
- सचिव (वित्त एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड षासन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि कृषि बीमा में opt out option होने के कारण बीमित खातों की संख्या में कमी आयी है, अतः बीमित खातों की संख्या बढ़ाने हेतु कार्य करना होगा, क्योकि राज्य का अधिकांष क्षेत्र पर्वतीय है तथा यहां पर दैवीय आपदा आती रहती है, जिस कारण किसानों को हानि होती है।
- निदेषक, कृषि द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत प्रदेष के मैदानी जनपदों में संसूचित इकाई न्याय पंचायत के स्थान पर ग्राम पंचायत को किया गया है।
- माननीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया :
    - योजना अंतर्गत बीमा प्रीमियम राषि का भुगतान 49 प्रतिषत राज्य एवं 49 प्रतिषत केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। अतः अधिक से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना अंतर्गत कवर किया जाना चाहिए।
    - उत्तराखण्ड राज्य प्राकृतिक आपदाग्रस्त राज्य है। किसानो को फसल बीमा की आवष्यकता के सम्बन्ध में षिक्षित किये जाने की आवष्यकता है। अतः किसानों को षिक्षित कर उन्हे फसल बीमा योजना अंतर्गत कवर किया जाये।
    - योजना अंतर्गत राष्ट्रीय औसत 2249 प्रति लाख है तथा उत्तराखण्ड का औसत 4406 है, जो कि अच्छी प्रगति है, इसे और अधिक बढाये जाने की आवष्यकता है।

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

11. **नई बैंक षाखायें एवं ए.टी.एम. खोलना :**

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी., द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि सरकारी बैंकों की संख्या में कमी का कारण कुछ सरकारी बैंकों का आपस में विलय होना है।
- सचिव (वित्त एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड षासन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि राज्य के दूर दराज क्षेत्र में बैंक षाखाओं के विस्तार किये जाने की आवष्यकता है।

- माननीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा बैंकों से जानना चाहा कि वे राज्य में कितनी–कितनी षाखायें खोलेंगे, जिस पर बैंकों द्वारा दिनांक 31.03.2022 तक नई बैंक षाखायें खोलने हेतु निम्नवत सहमति व्यक्त की गयी :

क्र.सं.	बैंक का नाम	नई षाखाओं की संख्या
1	भारतीय स्टेट बैंक	10
2	पंजाब नेषनल बैंक	05
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	05
4	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	05
5	केनरा बैंक	03
6	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	04
7	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	02
8	यूको बैंक	02
9	इण्डियन ओवरसीज बैंक	02
10	बैंक ऑफ इण्डिया	02
11	इण्डियन बैंक	02
12	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	02
13	एक्सिस बैंक	02
14	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	04
15	आई.डी.बी.आई. बैंक	02
16	एच.डी.एफ.सी. बैंक	06
योग		**58**

माननीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा बैंकों को निर्देषित किया गया कि वे नई षाखा खोलने हेतु सर्वे करें एवं व्यवसायिक दृष्टिकोण से उचित स्थान पर ही बैंक की षाखा खोलें तथा बैंक षाखा के साथ ए.टी.एम. भी खोले जाये। इस संदर्भ में बैंक व्यवसायिक दृष्टि से उचित स्थान में बैंक षाखा खोलने हेतु राज्य सरकार से मार्गदर्षन लें।

- सचिव (वित्त एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड षासन द्वारा समस्त जिला अधिकारियों को निर्देषित किया गया कि वे नई षाखा खोलने हेतु बैंकों का सहयोग करें तथा प्रषासन बैंकों को षाखा खोलने हेतु सरकारी परिसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

(कार्यवाही : जिला प्रषासन/समस्त बैंक)

12. <u>Business Correspondents (BCs) / CSPs</u> :

- माननीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा उक्त विषयक चर्चा के दौरान निम्नवत अवगत कराया गया :
  - बी.सी. द्वारा किये गये विभिन्न कार्यो हेतु, उनके द्वारा किये गये कार्य के अनुसार बैंकों द्वारा उन्हे पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है, इसके अतिरिक्त बी.सी. को एक न्यूनतम निष्चित राषि का भुगतान भी किया जाता है तथापि यह राषि उनके जीवन यापन के लिए पर्याप्त नही है। अतः बैंकों द्वारा बी.सी. को उचित पर्याप्त राषि भुगतान किया जाना चाहिए।
  - समस्त बैंक बी.सी. को उपरोक्तानुसार न्यूनतम निष्चित राषि बढ़ाने हेतु प्रस्ताव अपने बैक की Board meeting में रखें।

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

13. Financial Inclusion :

- माननीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा निम्नवत निर्देषित किया गया :
  - पी.एम.जे.डी.वाई. खातों में राष्ट्रीय औसत 36476 प्रति लाख है तथा उत्तराखण्ड का औसत 28124 है, जो कि अपेक्षाकृत कम है, अतः इसे बढ़ाये जाने की आवष्यकता है। बैंकों को पी. एम.एस.बी.वाई., पी.एम.जे.जे.बी.वाई. एवं ए.पी.वाई अंतर्गत आच्छादित खातों की संख्या बढ़ानी होगी।
  - समस्त बैंकों द्वारा माह फरवरी, 2022 के द्वितीय सप्ताह में जन–धन सप्ताह मनाया जाय, जिसमें जन धन के खाते खोले जाये। नवयुवकों के जन धन खाते खोले जाये एवं अधिकांष संख्या में उन्हे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में कवर किया जाय।
  - जन धन खातों की संख्या बढाये जाने हेतु बैंक, प्रषासन एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सहयोग प्राप्त करें।
- मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :
  - वित्तीय समावेषन हेतु वित्तीय साक्षरता कैम्प आयोजित किये जाने हेतु नाबार्ड द्वारा प्रति कैम्प रु. 6000.00 की प्रतिपूर्ति की जाती है।
  - नाबार्ड द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंक को 16 Mobile Van एवं Micro ATM प्रदान किये गये हैं।
  - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंक को भविष्य में भी उनकी आवष्यकतानुसार Mobile Van एवं Micro ATM की सुविधा प्रदान की जायेगी।

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

14. Performance of Aspirational Districts in four KPIs under Targeted Financial Inclusion Intervention Programme(TFIIP) :

- माननीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा निम्नवत निर्देषित किया गया :
  - बैंक Aspirational Districts में प्राथमिकता एवं प्रमुखता से बैंकरहित (unbanked) क्षेत्र में अपनी नई षाखा खोलें।
  - हरिद्वार जिले में कार्यरत बैंकों को पी.एम.एस.बी.वाई. एवं पी.एम.जे.जे.बी.वाई. अंतर्गत आच्छादित खातों की संख्या बढ़ानी है तथा उधम सिंह नगर में पी.एम.जे.जे.बी.वाई. के वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति करने हेतु कार्य करना है।

(कार्यवाही : अग्रणी जिला प्रबन्धक हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर/समस्त बैंक)

15. SHG :

- मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :
  - राज्य में स्वंय सहायता समूहों का क्रेडिट लिंकेज का प्रतिषत 60 से 70 प्रतिषत है, जिसमें बृद्वि किये जाने की आवष्यकता है। अतः बैंकों से आग्रह है कि वे अधिक से अधिक संख्या में स्वंय सहायता समूहों का क्रेडिट लिंकेज कर उन्हे कैष क्रेडिट लिमिट (CCL) प्रदान करें।

- राज्य में बैंकों द्वारा स्वंय सहायता समूह को औसतन रु. 1.00 लाख तक का ऋण ही प्रदान किया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर रु. 2.00 लाख तक करने की नितान्त आवष्यकता है।
- स्वंय सहायता समूह के Skill Development हेतु नाबार्ड द्वारा Livelihood and Enterprise Development Training Programme के माध्यम से Skill upgradation किया जा रहा है।

- माननीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा निम्नवत निर्देषित किया गया :
  - राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में Skill Development Programme किये जाने की आवष्यकता है।
  - बैंकों द्वारा सम्बन्धित विभाग के सहयोग से क्रेडिट लिंकेज खातों की संख्या बढ़ायी जाय।
  - स्वंय सहायता समूह को प्रदान की जा रही ऋण राषी को बढ़ाये जाने की आवष्यकता है।

(कार्यवाही : यू.एस.आर.एल.एम. विभाग/समस्त बैंक)

16. MSME :

- श्री पंकज गुप्ता, अध्यक्ष, इंडस्ट्रजी एसोसियेषन ऑफ उत्तराखंड द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :
  - बैंक षाखाओं द्वारा अधिक संख्या में ऋण आवेदन पत्रों को निरस्त किया जाता है तथा बैंक षाखाओं में अधिक संख्या में ऋण आवेदन पत्र लम्बित हैं।
  - सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं का प्रारुप एक ही प्रकार का होना चाहिए।
  - ऋण योजनाओं हेतु एक common check list होनी चाहिए।
  - ऋण आवेदन पत्रों के लम्बित का कारण, बैंक षाखा के बैंक अधिकारी को योजना विषयक ज्ञान का अभाव भी है, अतः बैंक एसे अधिकारियों को प्रषिक्षित करें।
- मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि Emergency Credit Line Guarantee Scheme (GECL) for MSME अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रत्येक योग्य खाताधारक से सम्पर्क किया गया है तथा उन्हे उक्त योजना का लाभ लेने हेतु प्रेरित किया गया है। हम अध्यक्ष, इंडस्ट्रजी एसोसियेषन ऑफ उत्तराखंड से अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त योजना अंतर्गत इच्छुक उद्यमियों की सूची हमें प्रेषित करें।
- क्षेत्रीय निदेषक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :
  - भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा Empowered Committee की त्रैमासिक बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें बैंक, अध्यक्ष, इंडस्ट्रजी एसोसियेषन ऑफ उत्तराखंड एवं एम.एस.एम.ई. विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिभाग किया जाता है। इस बैठक में एम.एस.एम.ई. के विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की जाती है।
  - बैंकर्स को एम.एस.एम.ई. श्रेणी में ऋण प्रदान करने में सक्षम बनाने हेतु on line workshop (National Mission for Capacity Building of Bankers for financing MSME Sector – NAM CABS) का आयोजन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियमित अंतराल पर आयोजित किया जाता है।
  - समस्त बैंक निरस्त किये गये ऋण आवेदन पत्रों का विष्लेषण (analysis) करें तथा निरस्तीकरण के कारणों का अध्यन कर इसका समाधान करें।

- माननीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा निम्नवत निर्देषित किया गया :
    - ➢ समस्त बैंक निरस्त किये गये ऋण आवेदन पत्रों की पुनः जांच करें एवं ऋण आवेदन पत्रों में इंगित त्रुटियों का निराकरण सम्बन्धित विभाग एवं आवेदक के सहयोग से करें।

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

17. <u>ऋण जमा अनुपात</u> :

- क्षेत्रीय निदेषक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिषानिर्देषानुसार, जिन जिलों का ऋण जमा अनुपात 40 प्रतिषत से कम है, वहां पर Special Sub Committee of DCC के द्वारा जिले का ऋण जमा अनुपात बढ़ाने हेतु Monitorable Action Plan तैयार किया जाता है।
- मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि राज्य के 08 जिलों का ऋण जमा अनुपात 40 प्रतिषत से कम है। अतः इन जिलों का ऋण जमा अनुपात बढाने हेतु नाबार्ड द्वारा Short term, Medium term एवं Long term Plan तैयार किया गया है, जिसकी चर्चा Special Sub Committee of DCC की बैठक में की जानी चाहिए।
- माननीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा निर्देषित किया गया कि 40 प्रतिषत से कम ऋण जमा अनुपात वाले जिलों में Special Sub Committee of DCC द्वारा जिले का ऋण जमा अनुपात बढ़ाने हेतु Monitorable Action Plan तैयार किया जाय।

(कार्यवाही : अग्रणी जिला प्रबन्धक/समस्त बैंक)

माननीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा आषा व्यक्त की गयी कि राज्य के चहुंमुखी विकास हेतु समस्त बैंक निरस्त किये गये ऋण आवेदन पत्रों पर पुर्नविचार करेंगे तथा बैंक षाखाओं में लंबित ऋण आवेदन पत्रों का अतिषीघ्र निस्तारण करेंगे। कृषि क्षेत्र में फसल उत्पादन, पषुपालन, मत्स्य पालन एवं कृषि अनुषंगी गतिविधियों हेतु बैंक वित्तपोषण करेंगे। वित्तीय समावेषन एवं डिजीटलीकरण क्षेत्र में अधिक कार्य करने की आवष्यकता है। राज्य के विकास में भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड भी सहयोग करेंगे।

बैठक के अंत में मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने माननीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा बैंकों को दिये गये निर्देषों के अनुपालन हेतु आष्वस्त किया तथा बैठक में उपस्थित डा. एस.एस. सन्धु, मुख्य सचिव, उत्तराखंड षासन, श्री आनन्द बर्द्धन, अपर मुख्य सचिव एवं अवस्थापना विकास आयुक्त, उत्तराखंड षासन, श्री एल. फैनेई, प्रमुख सचिव (समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण), उत्तराखंड षासन, श्री अमित सिंह नेगी, सचिव (वित्त एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड षासन, श्री दिलीप जावलकर, सचिव (पर्यटन), उत्तराखंड षासन, श्री राजेष कुमार, क्षेत्रीय निदेषक, भारतीय रिजर्व बैंक, डा. अरुण प्रताप दास, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, उत्तराखंड सरकार के विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों एवं राज्य में कार्यरत बैंकों के नियंत्रकों/उच्च अधिकारियों तथा समस्त प्रतिभागियों का बैठक में प्रतिभाग करने हेतु धन्यवाद व्यक्त किया गया।

महाप्रबन्धक
संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड